राजस्थान सरकार

पर्यटन विभाग

होटल खासा कोठी परिसर, एम.आई. रोड, जयपुर

क्रमांकः संस्था/एफ.5(23)पवि/2007/ 32649 दिनांकः 2/2/16

–: परिपत्र :–

विभाग में प्रवृत्त राजस्थान अधीनस्थ सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2001 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्नातक योग्यताधारी लिपिक ग्रेड–II (कनिष्ठ लिपिक) को निर्धारित कार्यानुभव की पूर्णता उपरान्त सहायक पर्यटक अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के प्रावधान हैं।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कपितय लिपिक ग्रेड–II के पद पर कार्यरत कार्मिकों द्वारा सेवा में रहते हुए उत्तरोत्तर शैक्षणिक योग्यता अर्जित की गई है, किन्तु अर्जित योग्यता के संबंध में सेवाभिलेख में प्रविष्ठि हेतु आवेदन नहीं किया गया है। ऐसे कार्मिक इस **परिपत्र के जारी होने की तिथि से 7 दिवस की अवधि में स्नातक होने का दस्तावेजी प्रमाण इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा सहायक पर्यटक अधिकारी अथवा लिपिक ग्रेड–I (वरिष्ठ लिपिक) के पद पर पदोन्नति के संबंध में विकल्प भी प्रस्तुत करें ताकि प्रस्तुत विकल्प के आधार पर परीक्षण किया जाकर तद्नुसार निर्णय लिया जा सके।**

(अनिल कुमार चपलोत)
निदेशक

क्रमांकः संस्था/एफ.5(23)पवि/2007/ 32680-89 दिनांकः 2/2/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, निदेशक, पर्यटन विभाग, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय पर्य. कार्यालय/पर्य. स्वागत केन्द्र/पर्य. सूचना केन्द्र, ... को प्रेषित कर लेख है कि उनके क्षेत्राधिकार के कार्यालयों में पदस्थापित कार्मिकों में कोई इस प्रकार का प्रकरण हो तो 7 दिवस की अवधि में मय दस्तावेजी प्रमाण के प्रकरण इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें तथा परिपत्र की प्रतिलिपि अपने कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी लगावें।
3. समस्त शाखा प्रभारी।
4. सूचना पट्ट, निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर।
5. विभागीय वेबसाइट,

(रश्मि शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)